भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1062
दिनांक 26.07.2023 को उत्तर देने के लिए

प्राकृतिक खनिज संसाधन

1062. श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) प्रायद्वीपीय राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में दोहन के अधीन प्राकृतिक खनिज संसाधनों और दोहन हेतु प्रस्तावित संसाधनों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कुल कितना राजस्व सृजित किया गया है;
(ग) उन राज्यों को रॉयल्टी के रूप में प्रदान की गई राशि का ब्यौरा क्या है जहां ये खानें स्थित हैं; और
(घ) राज्यों में स्थित खानों के दोहन के लिए राज्यों को दी जाने वाली रॉयल्टी दरों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [**एमएमडीआर अधिनियम**, 1957] **और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थित खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने का अधिकार है। खनिज संपत्तियों से राजस्व सीधे राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु सहित विभिन्न प्रायद्वीपीय राज्यों में दिनांक** 01.04.2022 **तक प्रमुख खनिजों के क्रियाशील खनन पट्टों का विवरण अनुबंध-**1 **पर दिया गया है।**

(ख) से (घ): खनन गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। खान मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2017-18 **से** 2021-22 **तक विभिन्न प्रायद्वीपीय राज्यों के लिए राज्य-वार, वर्ष-वार रॉयल्टी उपार्जन अनुबंध-**2 **पर दिया गया है। रॉयल्टी दरों को अंतिम बार दिनांक** 01.09.2014 **को संशोधित किया गया था।** 2015 **में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से, रॉयल्टी के अलावा, नीलामी प्रीमियम और जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान भी राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। इसलिए, राज्य सरकारों को अधिक संख्या में ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।**

*****

26.07.2023 को उत्तरदिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1062 में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध 1

क्रमांक	राज्य	01.04.2022 तकदोहन के अधीन प्रमुख खनिजों के खनन पट्टों की संख्या	दोहन के लिए प्रस्तावित नीलाम किये गये ब्लॉकों की संख्या
1	**आंध्र प्रदेश**	109	18
2	**गुजरात**	115	11
3	**कर्नाटक**	107	28
4	**केरल**	1	-
5	**महाराष्ट्र**	65	36
6	**ओडिशा**	95	21
7	**राजस्थान**	81	22
8	**तमिलनाडु**	64	-
9	**तेलंगाना**	38	-
	योग	**675**	**136**

अनुबंध- 2

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(पी)	2021-22(पी)
1	**आंध्र प्रदेश**	334.92	417.97	360.08	340.98	414.02
2	**गुजरात**	263.66	270.41	218.48	246.46	251.65
3	**कर्नाटक**	1271.4	1282.27	1424.25	1503.63	2542.14
4	**केरल**	**8.51**	**5.29**	**8.75**	**8.18**	**10.61**
5	**महाराष्ट्र**	171.46	182.73	195.99	165.83	304.54
6	**ओडिशा**	3470.41	7581.48	7672.19	7034.62	17983.69
7	**राजस्थान**	2648.97	3045.14	2485.65	2886.28	3675.97
8	**तमिलनाडु**	150.67	**एनए**	193.74	180.08	179.36
9	**तेलंगाना**	229.27	235.78	208.98	191.2	224.74
	योग	**8549.27**	**13021.07**	**12768.11**	**12557.26**	**25586.72**

(पी): अनंतिम डेटा, एनए: संबंधित राज्य से डेटा प्राप्त नहीं हुआ